

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुणे-410507
(महाराष्ट्र) ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नये सिपाही (चालक) के पद के लिए पश्चिमी
सेक्टर, नवी मुंबई में भर्ती हेतु विज्ञापन

संख्या: आर-दो-6/2010-स्था-5-जीसीपी

दिनांक 30 अप्रैल, 2010.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (चालक) की भर्ती

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में दिनांक 21/06/2010 को प्रातः 08:00 बजे से गुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, तलेगांव, पुणे, पिन- 410507 (महाराष्ट्र) में अखिल भारतीय स्तर पर केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए सिपाही (चालक) पदों हेतु भर्ती की जाएगी :-

1. रिक्त पदों का विवरण :-

प्रशासनिक कारणों से रिक्तियाँ कम अथवा ज्यादा भी हो सकती हैं।

पद का नाम	सामान्य	सामान्य भू0पू0 सैनिक	अ0पि0 वर्ग	अ0पि0 वर्ग भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति भू0पू0 सैनिक	योग
सि0/चालक	32	04	17	02	09	01	05	---	70
कुल	32	04	17	02	09	01	05	---	70

नोट :-

भर्ती कार्यक्रम : भर्ती केन्द्र पर केवल एक दिन दिनांक 21/06/2010 को प्रातः 0900 बजे से 1800 बजे तक ही उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्रेशन पर्ची जारी किया जायेगा ।

3. वेतनमान :- वेतन बैंड-1 रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/-
4. अन्य भत्ते :- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर देय अन्य भत्ते ।
5. तैनाती स्थान :- भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।
6. भर्ती हेतु उम्मीदवारों की अधिवासिता के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ।
7. भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होगी ।
8. सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 1/4/2004 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेशन योजना प्रभावी होगी ।
9. इस भर्ती में के0रि0पु0बल कार्मिकों के आश्रित/बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। उनको भी अन्य सामान्य अर्थार्थियों की तरह से ही परीक्षा देनी होगी। सेवारत कार्मिक/मृत/अशक्तता के कारण

सेवा से बाहर किए गए कार्मिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए संबंधित ग्रुप केन्द्र/बटालियन के द्वारा अण्डटेकिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, ताकि कोई के0रि0पु0बल के आश्रितों/बच्चों के नाम पर गलत उम्मीदवार भर्ती न हो सके।

10. सरकार द्वारा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु 1984 के दंगा में मारे गए लोगों के पीडित बच्चों/परिवार के सदस्यों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया गया है।
11. केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु गुजरात के 2002 के साम्प्रदायिक दंगा के पीडितों को अतिरिक्त सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया गया है।

12. भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती प्रक्रिया में छूट :-

ए) शारीरिक मापदण्ड	:	पूरी छूट
बी)शैक्षणिक योग्यता	:	पूरी छूट
सी)चरित्र प्रमाण पत्र	:	कम से कम अच्छा होना चाहिए
डी)चिकित्सा श्रेणी	:	श्रेणी शेष-एक
ई) आयु सीमा में उपरी छूट :	:	आर्मी सेवा के साथ 03 साल की छूट जैसा कि डीओपीटी की अधिसूचना सं0 3016/10/79/-स्था0-एक दिनांक 15/12/79 में दी गई है। आर्मी सेवा समाप्ति और के0रि0पु0बल में पुनः रोजगार में आने के बीच का समय 24 माह से अधिक का न हो।

एफ) केरिपुबल में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता परीक्षा देय नहीं है फिर भी उन्हें लिखित परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण देनी होगी।

13. उपरोक्त पदों के लिए वाछनीय योग्यताएं

ए) शैक्षणिक योग्यता	:	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या 10 वी पास।
---------------------	---	--

तकनीकी योग्यता :

सिपाही (चालक) के पद हेतु उम्मीदवारों के पास वैद्य भारी मोटर परिवहन (एच.टी.व्ही) लाइसेन्स होना चाहिए तथा भर्ती के समय उन्हें डाईविंग टेस्ट में उत्तीर्ण होना होगा।

बी) आयु	:	दिनांक 01/08/2009 को 18 से 23 वर्ष के मध्य (आयु का कटऑफ तिथि 01 अगस्त 2009 होगी)
---------	---	--

आयु में छूट

(ए) अनु0जाति/अनु0जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट और अ0पि0वर्ग0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 03 साल की छूट देय होगी।

(इ) वर्ष 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों/बच्चों के लिए भी 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि यह अभ्यर्थी एससी/एसटी0 और अ0पि0 वर्ग का है तो उसे यह छूट उसको (ए) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी। यह छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिस जिले में वह मारा गया है।

सी) चिकित्सा परीक्षा
ए) नेत्र दृष्टि : दूरस्थ दृष्टि
(1) चश्मे के बिना दोनों आँखों का न्यूनतम दृष्टि 6/6 एवं 6/9 बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए।
(2) रंगान्धता दोषों से मुक्त होना चाहिए।

बी) उम्मीदवार को घनुषाकार टोंगें, आपस में टकराते घुटने, सपाट तलवे, वेरीकोज वेन, आँखों का भेंगापन नहीं होना चाहिए। वे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उनमें ऐसा कोई दोष नहीं हो जिससे प्रभावी ढंग से ड्यूटी करने में बाधा उत्पन्न हो।

डी) शारीरिक मापदंड
ए) उँचाई : कम से कम 170 सेमी

छूट :-

गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उँचाई 165 सेमी0 एवं सभी अनुसूचित जनजातिय उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उँचाई 162.5 सेमी।

बी) सीना : बिना फुलाए – 80 से0मी0
फुला कर – 85 से0मी0
(कम से कम 05 सेमी का फुलाव होना चाहिए)

छूट :-

गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 78 सेमी (कम से कम फुलाव 05 सेमी)। सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेमी (कम से कम फुलाव 05 सेमी)।

सी) भार : चिकित्सा स्तर के अनुसार उँचाई और आयु के अनुपात में ।

14. चयन प्रक्रिया

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती रैली पद्धति के आधार पर होगी। इच्छुक/पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि तथा समयानुसार भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को निम्नलिखित टेस्ट/जाँच से गुजरना होगा :-

(ए) उँचाई बार

भर्ती के शुरूआती चरण में उम्मीदवारों को उँचाई बार से गुजरने के लिए कहा जाएगा और उसमें जिनकी उँचाई कम पाई जाएगी उनको अस्वीकार करने संबंधी स्लिप दी जाएगी तदानुसार उनको अगली भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा ।

बी) दौड़/रेस (क्वालीफाई नेचर)

जो उम्मीदवार उंचाई बार प्रक्रिया में सफल होंगे उन्हें 05 कि०मी० दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी।

नोट :-

जो उम्मीदवार दौड़ में सफल नहीं होंगे उन्हें अगले चरण के लिए अयोग्य घोषित कर अस्वीकार स्लिप दी जाएगी।

सी) उम्मीदवारों की पहचान

जो उम्मीदवार 05 कि०मी० दौड़ में सफल होगा उसे भर्ती के सभी चरणों के लिए नवीनतम वायोमैट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि कोई धोखाधड़ी न हो सके। (कम्प्यूटर पर आधारित वायोमैट्रिक उपकरण के अभाव में, उम्मीदवार की पहचान के लिए उसके अंगूठे की छाप, डिजिटल फोटोग्राफ और शरीर पर कोई भी विशिष्ट प्रकार के पहचान के चिन्ह का प्रयोग किया जायेगा)

डी) कागजातों का जाँच

पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के मूल कागजातों/दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार, अपेक्षित कागजातों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध नहीं करा पायेगा तो उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

ई) शारीरिक मापतौल

जो उम्मीदवार कागजातों की जाँच पडताल में योग्य पाए जाएंगे, उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उंचाई, सीना और वजन की माप-तौल की जाएगी। जो उम्मीदवार शारीरिक माप-तौल की शर्तों को पूरा करेगा उसे शारीरिक दक्षता टैस्ट में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी और जो उम्मीदवार शारीरिक माप-तौल की शर्तों को पूरा नहीं करेगा उसे भर्ती के अगले चरण में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उम्मीदवार को कारण दर्शाते हुए अस्वीकार स्लिप दी जाएगी। नाप-तौल से संबंधित किसी भी विवाद को उसी जगह पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा और इस मामले में उनका निर्णय ही अन्तिम होगा।

एफ) शारीरिक दक्षता टैस्ट

शारीरिक दक्षता टैस्ट के लिए निम्नलिखित को क्वालीफाई करना होगा।

- (1) 11 फिट लम्बी कूद (03 चांस दिए जाएंगे)
- (2) 3.1/2 (साढ़े तीन) फिट उँची कूद (03 चांस दिए जाएंगे)

नोट:-

उम्मीदवार को उक्त चरणों को क्वालीफाई करना होगा। उक्त पी०ई०टी० के किसी भी चरण में असफल हुए उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रक्रिया हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें इस बावत् एक रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी जिसमें उनके असफल होने का कारण इंगित होगा।

जी) ट्रैड टैस्ट

पी0ई0टी0 टैस्ट में सफल हुए उम्मीदवारों का बोर्ड द्वारा उनसे संबंधित ट्रैड/जॉब दक्षता का टैस्ट लिया जाएगा।

एच) लिखित परीक्षा (100 अंक)

- i) जो उम्मीदवार अपने से संबंधित ट्रैड में दक्ष/कुशल पाया जाएगा वह लिखित परीक्षा में सम्मिलित होगा।
- ii) लिखित परीक्षा 01 घंटा 30 मिनट की होगी और इसके 02 भाग होंगे तथा अधिकतम 100 अंक हैं, इनमें से 50 अंक वर्णनात्मक निबंध/पत्र लेखन (100 शब्द हिन्दी में या अंग्रेजी में) और वर्णनात्मक प्रश्न जो सामान्य ज्ञान और पर्यावरण पर आधारित होंगे और शेष 50 अंक वस्तुनिष्ठ टैस्ट जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित योग्यता एवं रिजनिंग टैस्ट के लिए आवंटित किए गए हैं।
- iii) इस प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, गणित पर आधारित ज्ञान, परखने की योग्यता और उम्मीदवार के बसिक ज्ञान का टैस्ट हिन्दी या अंग्रेजी में लिया जाएगा। ट्रैड टैस्ट के बाद ही लिखित परीक्षा ली जाएगी।
- iv) उत्तर को केवल वॉल पेन से लिखा / मार्क किया जाएगा।

आई) चिकित्सा परीक्षण

क) शारीरिक माप-तोल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को वरीयता सूची के आधार पर चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा जिसमें उनकी शारीरिक एवं चिकित्सा की उपयुक्तता की जाँच की जायेगी।

नोट- प्रत्येक वर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर एवं पूर्व अनुभव के आधार पर सामान्य प्रत्याशित असफलता (नोरमल एन्टीसिपेटेड फेलियरस) के अनुसार उम्मीदवारों को चिकित्सा जाँच हेतु बुलाया जायेगा। फिर भी यदि शार्टफाल होता है, तो भी दुबारा चिकित्सा जाँच की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

ख) चिकित्सीय परीक्षण में "अस्थायी रूप से अयोग्य" को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित उम्मीदवार को भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे अनफिट घोषित किये जाने के कारणों को पूरे विवरण सहित सूचित किया जायेगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्ष से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु 'एनेक्वर-3' में दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र में अपने फिटनेस के सबूत के साथ एक अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे चिकित्सा प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें चिकित्साधिकारी द्वारा यह नोट न दिया गया हो कि उसे इस बात की पूरी तरह जानकारी है कि उम्मीदवार को पहले ही केरिपुबल के चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित किया जा चुका है। अपील के साथ फीस के रूप में रु0 25/- /रुपये पच्चीस मात्र/ के रेखांकित इंडियन पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक जो कि अपीलीय प्राधिकारी अर्थात पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, केरिपुबल, तलेगांव, पुणे, पिन- 410507 (महाराष्ट्र) को देय हो, संलग्न करना होगा। यह संलग्न नहीं किये जाने पर अपील पर विचार नहीं किया जायेगा और यह अपील भर्ती बोर्ड के चिकित्साधिकारी के निष्कर्ष को उम्मीदवार को सूचित करने की तिथि के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।

जे)

अन्तिम चयन

उम्मीदवार का अन्तिम चयन उस श्रेणी में गुणानुक्रम सूची के आधार पर किया जाएगा जैसा कि चयनित होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत निम्न प्रकार से है।

सामान्य	:	35 प्रतिशत
एस0सी/एस0टी/ओ0बी0सी.	:	33 प्रतिशत

के)

इस भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार नहीं होगा।

15. भर्ती के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता/जन्म तिथि की पुष्टि के लिये मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र।
 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो परिशिष्ट I व II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जो कि राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे रैंक का न हो द्वारा जारी होना चाहिए।
 3. तकनीकी/ट्रेड/व्यवसायिक अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र।
 4. भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र।
 5. एन0सी0सी0/स्काउट एवं गार्ड/खेलकूद/कम्प्यूटर में निपुणता की अतिरिक्त योग्यता के संबंध में अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि कोई हो।
 6. शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए कार्यालय/विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 7. हाल में खींचे गए पासपोर्ट साईज के चार फोटोग्राफ।

16. सामान्य शर्तें।

1. उम्मीदवार अपने खर्च पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उन्हें भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। भर्ती प्रक्रिया 6-7 दिन तक चल सकती है। उम्मीदवारों से सलाह दी जाती है कि वह पैन व पैसिल अपने साथ लेकर आए।
2. परीक्षा/भर्ती/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे।
4. अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को छाती एक्स-रे और पैथोलॉजी टैस्ट के आधार पर ही नियुक्ति किया जाएगा। सभी पद वर्दीधारी (Combatized) हैं और पूर्णतया अस्थायी, परन्तु आगे बने रहने की संभावना है। चयनित उम्मीदवार को भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
5. भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे।
6. भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक/पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि/समय पर भर्ती बोर्ड, ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, तलेगांव, पुणे, पिन- 410507 (महाराष्ट्र) में उपस्थित हो सकते हैं।
7. प्रशासनिक कारणों से रिक्तियाँ घट-बढ़ सकती हैं।
8. अधिवासिता - अखिल भारतीय स्तर पर।

17. उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान दलालों एवं जाल साजों से सावधान रहने की आवश्यकता है चूंकि के०रि०पु०बल में भर्ती के लिए कोई रूपया-पैसा नहीं लिया जाता है । यदि आपने किसी को रूपया-पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आपने धोखा खाया है तथा आप अपना धन गंवा रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति रूपया-पैसा की मांग करता है अथवा भर्ती का वादा करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तत्काल सूचित करें ।

हस्ताक्षरित / 30. 04. 2010
(रणदीप दत्ता)

पुलिस उप महानिरीक्षक, गु०के०, पुणे ।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले
प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीपुत्र श्री..... ग्राम/नगर
.....जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्रके निवासी.....जाति/जन जाति
से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है
:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम
1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन
अधिनियम-1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964

' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

' संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990

' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1991

' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय-संशोधन), अधिनियम 1991

' संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश, 1996

02. यह प्रमाण पत्र श्रीपुत्र श्री..... ग्राम/नगर.....
जिला/मंडल.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....को जो..... जाति/जन जाति से
संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता
प्राप्त हैं को अथवा श्री.....तथा अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर.....
जिला/मंडल.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं को.....(जारी करने वाले निर्धारित
प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक संख्या.....के अधीन जारी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है
स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पदनाम.....
(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :- यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

- 1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।
- 2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट
- 3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।
- 4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(भारत सरकार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02/07/1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-स्था0(रेज))

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीपुत्र/पुत्री श्री..... ग्राम
.....जिला/प्रमण्डल.....राज्य.....समुदाय.....के हैं जो निम्न के अन्तर्गत
पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

- '1) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र-1, न0 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/63/93-बी.सी.सी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993.
- '2) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र-1, सेक्सन-1 न0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994.
- '3) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र-1, सेक्सन-1 न0- 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95-बी.सी.सी. दिनांक 24 मई 1995.
- '4) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र-1, सेक्सन-1 न0- 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.

श्री.....तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया राज्य के.....जिला/प्रमण्डल
.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करता है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/93 सी0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसूची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

(कार्यालय मुहर सहित)

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

- 1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।
- 2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट
- 3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।
- 4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

ऊंचाई अथवा सीने के माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....जिनका सत्यापित फोटो नीचे लगा है, ग्राम.....तहसील/तालुका.....जिला.....राज्यका स्थाई निवासी है।

सत्यापित फोटो

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....(गढवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हिमांचली, लद्दाखी कश्मीरी, सिक्किमी) समुदाय के (समुदाय का नाम) समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है।
अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....(पूर्वोत्तर राज्यों) के (राज्य का नाम) राज्य का मूल निवासी है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....(जनजाति का नाम) जनजाति/आदिवासी समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है।

गोल मोहर

स्थान –
दिनांक –

जिलाधिकारी/सब डिविजनल
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के हस्ताक्षर
मोहर के साथ

चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने/हमने श्री/श्रीमती जो कि विभाग में भर्ती के लिए उम्मीदवार है कि जांच की तथा उसमें शारीरिक दोष/कमी को छोड़कर किसी प्रकार की बीमारी (संचारी या अन्य), का होना नहीं पाया है । मैं/हम उसे भर्ती हेतु के कार्यालय के लिये अयोग्य नहीं मानते हैं।

नोट-

यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा इस पूरे तथ्यों की जानकारी के उपरांत जारी किया जा रहा है कि कार्मिक को पहले ही केरिपुबल के मेडिकल अधिकारी द्वारा भर्ती के लिये अयोग्य घोषित किया गया है ।

स्थान -

दिनांक -

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड
के चिकित्साधिकारी